**भारत सरकार**

**सहकारिता मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न *204**

**मंगलवार, 06 अगस्त, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ**

## प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण

***204. श्री दिलीप शइकीयाः**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर किस प्रकार विकसित किया जा रहा है;

(ख) क्या प्राथमिक कृषि ऋण समिति कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पहले से ही कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के साथ एकीकृत हो सकता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विभिन्न कार्यकलापों के लिए सॉफ्टवेयर में किस प्रकार के मॉड्यूल शामिल किए गए हैं; और

(घ) उक्त सॉफ्टवेयर से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्यकलापों और व्यापार विविधीकरण में किस प्रकार पारदर्शिता आने की संभावना है?

**उत्तर**

**सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)**

(क) से (घ): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

**श्री दिलीप शइकीया द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कम्प्यूटरीकरण के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 204 के संबंध में भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण**

(क): भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक सुनिश्चित करना है । अब तक 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेंत्रों से 67,930 पैक्स के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिसके लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भारत सरकार के हिस्से की 654.23 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके है । इस परियोजना के राष्ट्र-स्तरीय कॉमन सॉफ्टवेयर का विकास नाबार्ड द्वारा किया गया है और 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 25,674 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड कर लिया गया है । इस परियोजना के तहत कॉमन ईआरपी सॉफ्टवेयर देश भर के सभी पैक्स को प्रदान किया जा रहा है, ताकि पैक्स की सभी कार्यात्मकताओं, क्रेडिट और गैर-क्रेडिट दोनों पर डेटा प्राप्त किया जा सके। इस सॉफ्टवेयर को राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है । संगत प्रापण दिशानिर्देशों के अनुसार नाबार्ड ने राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा और डाटा स्टोरेज सहित कॉमन सॉफ्टवेयर प्रदान करने के लिए खुली बोली के माध्यम से नैशनल लेवल पैक्स सॉफ्टवेयर वेंडर (NLPSV) नामक वेंडर नियुक्त किया गया है ।

(ख): जी हां, मान्यवर । पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत इस्तेमाल किए जा रहे इस सॉफ्टवेयर को पूर्व कंप्यूटरीकृत पैक्स के साथ भी एकीकृत किया जा सकता है । परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे पैक्स जो कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं, उनके लिए राज्यों को प्रति पैक्स 50,000/- रुपए के व्यय की प्रतिपूर्ति इस शर्त पर की जाएगी कि वे अपने सॉफ्टवेयर का एकीकरण राष्ट्रीय पैक्स सॉफ्टवेयर के साथ करें । इसके साथ ही, उनके हार्डवेयर अपेक्षित विनिर्देशों को भी पूरा करते हों तथा राज्यों द्वारा पैक्स कंप्यूटरीकरण का कार्य केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटरीकरण की बजट घोषणा की तारीख, अर्थात् 01 फरवरी, 2017 को या उसके बाद प्रारंभ किया गया हो ।

ऐसे राज्यों द्वारा कंप्यूटरीकृत न किए गए पैक्स को इस परियोजना के अधीन पूरी लागत पर शामिल किया जा रहा है । इस परियोजना की संवहनीयता हेतु सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का अनुरक्षण और हैंडहोल्डिंग को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है । इस उद्देश्य हेतु परियोजना में एक सपोर्ट सेंटर स्थापित करके एक सहायता प्रणाली की परिकल्पना की गई है । ये सपोर्ट सेंटर्स सिस्टम इंटिग्रेटर (इंटिग्रेटरों)

द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं और राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (PMUs), जो राज्य-स्तरीय सपोर्ट सेंटर के रूप में भी कार्य करती हैं, को रिपोर्ट करते हैं । यह संपूर्ण सहायता प्रणाली राज्य सरकारों के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन है और संबंधित सिस्टम इंटिग्रेटर द्वारा संचालित की जा रही हैं।

(ग): पैक्स को पंचायत स्तर पर जीवंत आर्थिक संस्थान बनाने हेतु पैक्स की व्यवहार्यता में वृद्धि और उनके व्यवसाय में विविधता लाने के लिए सरकार द्वारा सभी हितधारकों के परामर्श से पैक्स हेतु आदर्श उपविधियां तैयार कर सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 5 जनवरी, 2023 को परिचालित किया गया ताकि संबंधित राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार उचित बदलाव करने के उपरांत पैक्स द्वारा इन्हें अपनाया जा सके । पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना का लक्ष्य अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक ऋणों के लिए वित्तीय सेवाएं, प्रापण कार्य, सार्वजनिक वितरण की दुकानों (PDS) का प्रचालन, व्यवसाय नियोजन, भांडागारण, क्रय-विक्रय, उधार, आस्ति प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, इत्यादि जैसे विभिन्न मॉड्यूलों को शामिल करके पैक्स हेतु आदर्श उपविधियों में विनिर्दिष्ट 25 से भी अधिक आर्थिक कार्यकलापों को शामिल करने हेतु एक समग्र ईआरपी सॉल्यूशन प्रदान करना है ।

(घ): कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर, पैक्स के प्रदर्शन में दक्षता लाता है । इसके अलावा, पैक्स के शासन और पारदर्शिता में भी सुधार होती है जिसके कारण ऋणों का त्वरित संवितरण, लेनदेन लागत में कमी, भुगतान असंतुलनों में कमी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होता है । इससे किसानों के बीच पैक्स के कार्यकरण के प्रति विश्वसनीयता में वृद्धि होगी, जो "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी ।

*****